

दिनांक 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
ई-कॉमर्स निर्यात केन्द्र

2951. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

श्री बी. मणिकम टैगौर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पहले ई-कॉमर्स निर्यात केन्द्र की स्थिति क्या है जिसे मार्च 2025 में कार्य करना शुरू करना निर्धारित था और आने वाले वर्षों में कितने अन्य ई-कॉमर्स निर्यात केन्द्र शुरू किए जाने की उम्मीद है और उनकी स्थापना की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने ई-कॉमर्स निर्यात केन्द्र पहल के हिस्से के रूप में वस्तुओं के लिए प्रभावी वापसी नीति की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ई-कॉमर्स निर्यात में 15-20 प्रतिशत की उच्च वापसी दर को किस हद तक हल करने की योजना बना रही है;
- (ग) नए केन्द्रों के तहत वस्तुओं के लिए सुव्यवस्थित और कुशल वापसी को लागू करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) ई-कॉमर्स निर्यातकों, विशेषकर छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए वित्तपोषण को आसान बनाने पर विचार करते हुए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार ने इन केन्द्रों का उपयोग करने वाले निर्यातकों की वित्तीय जरूरतों का समर्थन करने के लिए कोई विशिष्ट योजना या वित्तपोषण तंत्र प्रस्तावित किया है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

- (क) वर्तमान में 5 ई-कॉमर्स निर्यात केन्द्रों (ईसीईएच) को प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जा रहा है तथा प्रचालन नियामक प्राधिकरण से अनापत्ति के अधीन है।
- (ख) एवं (ग) केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 के अनुसार, सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट लगाए जाने योग्य सीमा शुल्क तथा सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) और (9) के अंतर्गत एकीकृत कर, प्रतिपूर्ति उपकर को कुछ शर्तों के अधीन जब भारत में माल का पुनः आयात किया जाता है तक इसे छूट दी गई है।
- (घ) से (च) निर्यात संवर्धन मिशन का नेतृत्व वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, जिसके प्रमुख उद्देश्य निर्यात ऋण तक अभिगम में सुधार करना तथा विशेष रूप से एमएसएमई तथा ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए सीमा-पार फैक्ट्रिंग सहायता का विस्तार करना शामिल है। ई-कॉमर्स निर्यात केन्द्र (ईसीईएच) के माध्यम से निर्यात के लिए सहायता पर भी विचार किया जा रहा है। वर्तमान में, मिशन की योजनाएं परामर्श चरण में हैं, जिसमें निर्यात संवर्धन के लिए एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए उल्लिखित मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के बीच चर्चा चल रही है।